न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :–20/2023

डुगरसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपूत निवासी लाखासर तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर

-----वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण वकील वादी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 29 अगस्त 2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके रोही ग्राम लाखासर के वर्तमान अनुसार खेत खसरा नंबर 13/33 में 50 बीघा खातेदारी कृषि भूमि चली आ रही है। आराजी मुतनाजा वास्तव में ग्राम लाखासर के मूल खसरा नंबर 13 की 50 बीघा भूमि है जिसका वर्तमान रिकार्ड राजस्व में 13/33 मिन नंबर डाला हुआ है। आराजी मुतनाजा वाके रोही ग्राम लाखासर के खेत खसरा नंबर 13/33 की 50 बीघा भूमि वर्तमान में चकबंदी व मुरबाबंदी व किला बंदी करते समय चक 29 जीएसडी–ए के मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 21, मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 7, 12ता25, मु0नं0 202/2/16 के कि0नं0 16, 24,25 व मु0नं0 203/1/13 के कि0नं0 2ता9, 12ता18,24, मु0नं0 203/3/1 के कि0नं0 1ता13,19,20 में फीट की गई है जिसकी नकल गिरदावरी संलग्न है।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अनुसार वादी दिनांक 31.07.23 को आराजी मुतनाजा वाले चक 29 जीएसडीए के मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 1ता25, मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 7, 12,ता25, मु0नं0 202/2/16 के कि0नं0 16,24,25, मु0नं0 203/1/13 के कि0नं0 2ता4, 7ता9 व मु0नं0 202/4/7 के कि0नं0 21 इस प्रकार कुल तादादी 50 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त है।
3. यह कि वादी चकबन्दी के पश्चात चक 29 जी.एस.डी. 'ए' के मु0न0 202/4/... 1ता 25 मु0न0 202/4/4 के कि0नं0 7, ... 16,24,25 ...

4. सर्वप्रथम वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर वादी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। राजपैरोकार के जवाब के अनुसार ग्राम लाखासर के ख0नं0 13/33 में 50 बीघा भूमि डूंगरसिंह पुत्र प्रेमसिंह कौम राजपूत साकिन लाखासर गैर खातेदार वर्तमान में भूमि चक 29 जीएसेडी ए में पैमूद हुआ जो मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 21, मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 7, 12ता25, मु0नं0 202/2/16 के कि0नं0 16, 24,25 व मु0नं0 203/1/13 के कि0नं0 2ता9, 12ता18,24, मु0नं0 203/3/1 के कि0नं0 1ता13,19,20 में पैमूद हुआ। वर्तमान में अपीलकर्ता के मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 7, 13ता18, 23ता25 में 10 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 21 में 1 बीघा कमाण्ड कुल 11 बीघा कमाण्ड भूमि जो डूंगरसिंह पुत्र प्रेमसिह के नाम रिकार्ड दर्ज है तथा मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 1ता20, 22ता25 में 24 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/7 के कि0नं0 6,7,13ता19, 21ता25 में 14 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 6 में 1 बीघा कमाण्ड कुल 39 बीघा कमाण्ड रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है।

5. वादी के वकील ने वाद पत्र के सलंग्न नकल नक्शा, नकल खसरा गिरदावरी, सूचि 4 की नकल प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

6. वाद पत्र, वाद पत्र के सलंग्न दस्तावेज, राजपैरोकार के जवाब एवं वकील वादी की बहस का अवलोकन किया गया। मुताबिक वाद पत्र व पेरोकाराज के जवाब, वकील वादी की बहस एवं वाद पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पूर्व में वादी के धारण की भूमि की तरमीम की गई थी वो बिना मौका जांच के की गई थी। अतः पूर्व तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को आदेशित किया जाता है कि वादी के मौका कब्जानुसार चक 29 जीएसडी ए के मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 7, 13ता18, 23ता25 में 10 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 21 में 1 बीघा कमाण्ड कुल 11 बीघा कमाण्ड भूमि जो पूर्व से ही डूंगरसिंह पुत्र प्रेमसिह के नाम रिकार्ड दर्ज है तथा मु0नं0 202/4/8 के कि0नं0 1ता20, 22ता25 में 24 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/7 के कि0नं0 6,7,13ता19, 21ता25 में 14 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 202/4/4 के कि0नं0 6 में 1 बीघा कमाण्ड कुल 39 बीघा कमाण्ड रिकार्ड में दर्ज अराजीराज भूमि मौका कब्जा काश्त सिद्ध होती है, पर नियमानुसार तरमीम कर अभिलेख में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं।

7. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम–बीकानेर, मु. कोलायत

(सांवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत